भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी – 6345/2018/सागर/भू.रा.

जयराम पटेल उम्र 60 वर्ष पिता स्व.श्री भगवानदास पटेल
निवासी–अमरसिंह का बगीचा,अहमदनगर,बृन्दावन वार्ड,गोपालगंज, सागर
तहसील, जिला व संभाग सागर म.प्र. ...आवेदक

// विरूद्ध //

कड़ोरीलाल पटेल पिता श्री गौरीशंकर पटेल
निवासी–अमरसिंह का बगीचा,अहमदनगर,बृन्दावन वार्ड,गोपालगंज सागर
तहसील, जिला व संभाग सागर म.प्र. ...अनावेदक

अधीनस्थ न्यायालय–श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग,सागर म.प्र.
रा.अपील प्र.क्र. 0692 अ/27 वर्ष 2017–18
आदेश दिनांक 09.10.2018
पक्षकार–जयराम पटेल विरूद्ध कड़ोरीलाल पटेल

प्रथम अपीलीय–अधीनस्थ न्यायालय–श्रीमान अनु.अधि.महो.(राजस्व)सागर
रा. अपील प्र.क्र. 53 अ/27 वर्ष 2016–17
आदेश दिनांक 22.01.2018
पक्षकार–गौरीशंकर विरूद्ध हरगोबिन्द + अन्य

विचारण न्यायालय– श्रीमान तहसीलदार महोदय सागर
रा.प्र.क्र.117 अ/27 वर्ष 2014–15 **आदेश दि0** 08.10.2015
पक्षकार–गौरीशंकर–हरगोबिन्द + अन्य

पुनरीक्षण प्र.क्र. **प्रस्तुत दिनांक** 16.11.2018

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू रा.सं.1959–

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है–

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय **श्रीमान** अपर आयुक्त **महोदय** सागर संभाग सागर म.प्र. के रा.अपील प्र.क्र. 0692 अ/27 वर्ष 2017–18 **में** पारित आदेश दिनांक 09.10.2018 पक्षकार जयराम पटेल विरूद्ध कड़ोरीलाल **पटेल** से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर माननीय न्यायालय **के समक्ष** पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है–

1. यह कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष **दिनांक** 05.02.2018 को अपील याचिका अंतर्गत धारा–44(2) म.प्र.भू रा.सं.के **तहत् प्रस्तुत** की थी।

–2–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग- 6345/2018/ सागर/भू.रा.

जयराम पटेल विरूद्ध कड़ोरीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से श्री भूपेन्द्र राठौर अभिभाषक उपस्थित। उन्हें कायमी के बिन्दु पर सुना गया। 2. प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 0692/अ-27/2017-18 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 09-10-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत दिनांक 16-11-2018 को प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुये नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत अपर आयुक्त के द्वारा व्दितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) सदस्य 07/3/19	